बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 162317 पटना, दिनांक 10/09/2013

सं0सं0-ग्रा0वि-7 (6)- SGSY.(वि0प0)-13/2006

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी (भा0प्र0से0),
आयुक्त, स्वरोजगार ।

सेवा में,

निर्मला गोयल,
सरकार के अवर सचिव,
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली ।

विषय-: **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले में स्वयं सेवी संस्था "निर्देश"द्वारा कार्यान्वित की जा रही आजीविका विशेष परियोजना की अवधि विस्तार करने की अनुशंसा के संबंध में।**

प्रसंग:- उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक- 2347 दिनांक - 06.07.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर ने आपके पत्र-17014/4/2006-SGSY II (Special Project) दिनांक- 01.01.25012 के प्रसंग में स्वयं सेवी संस्था "निर्देश"मुजफ्फरपुर जिले में कार्यान्वित की जा रही "आजीविका" विशेष परियोजना की अवधि विस्तार से संबंधित पत्र एवं वर्ष 2012-13 काअंकेक्षण प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथ्य अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया है ।

उल्लेखनीय है कि स्वयं सेवी संस्था "निर्देश" द्वारा उक्त परियोजना अवधि का विस्तार नवंबर 2013 तक करने का अनुरोध किया है ।

चूँकि विशेष परियोजना की अवधि समाप्त हो चुकी है, परन्तु परियोजना अभी अधूरी है एवं भारत सरकार से तृतीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई है ।

अतएव स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले में 5000 ग्रामीण महिलाओं के जीविकोपार्जन हेतु "निर्देश" स्वयं सेवी संस्था द्वारा कार्यान्वित की जा रही आजीविका विशेष परियोजना की अवधि को मार्च 2014 तक विस्तारित करने की अनुशंसा की जा रही है । साथ ही तृतीय किश्त की राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया जाता है । राशि की विमुक्ति **DRDA, Muzaffarpur**के ही माध्यम से की जा सकती है ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

9/9/2013

(अरविन्द कुमार चौधरी)
आयुक्त, स्वरोजगार ।

ज्ञापांक 162317 पटना, दिनांक 10/09/2013

प्रतिलिपि -उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर को उनके पत्र सं0- 2347 दिनांक- 06.07.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

9/9/2013

आयुक्त, स्वरोजगार ।

हिन्दी आवेदन-14 (Ajeet kr. Singh D.Drive)